मेरठ विकास प्राधिकरण

की

5 वीं बोर्ड बैठक

दिनाँक 29—12—77

का

कार्यवृत्त

दिनाँक 29-12-77 को आयुक्त कार्यालय, मेरठ में प्रातः 11-00 बजे होने वाली बैठक के विचारार्थ बिषय

स्थान : न्यायालय, आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ ।
समय : 11-00 बजे प्रातः ।

1- श्री आर० के० गोयल	आयुक्त एवं अध्यक्ष
2- श्री ए० के० पचौरी	सदस्य
3- श्री आई० बी० त्यागी	सदस्य
4- श्री ए० आर० कपूर एडीशनल डायरैक्टर इन्डस्ट्रीज	सदस्य
5- श्री आर० के० कपूर अ० अ० सा० नि० वि० कृते अधी० अभि०	सदस्य
6- श्री जे० पी० जैन, एस० ई०, हाऊसिंग बोर्ड, मेरठ	सदस्य
7- श्री आर० डी० गर्ग, अ० अभि०, अधीक्षण अभियन्ता	सदस्य

1- पिछली बैठक की कार्यवाही की पुष्टि

पिछली बैठक दिनाँक **12-7-77** की कार्यवाही पढ़कर बैठक में सुनवाई गई । कार्यवाही की पुष्टि की गयी ।

2- 1976-77 का बार्षिक लेखा (स्वीकृति हेतु)

बर्ष 1976-76 का बार्षिक लेखा स्वीकृत किया गया ।

3- 1977-78 का मूल बजट स्वीकृति हेतू ।

बर्ष 1977-78 का मूल बजट स्वीकृत किया गया ।

4- श्री प्रेमचन्द टण्डन मानसरोबर के केस में शासनादेश दिनाँक 18-5-77 तथा प्रस्ताव सं०-3 दिनाँक 12-7-77 के सम्बन्ध में ।

श्री प्रेमचन्द टण्डन निवासी मानसरोवर कालौनी के मकान में हुए सरकारी जमीन के अतिक्रमण के मामले पर विचार हुआ । इस मामले में अभी तक तहसीलदार मेरठ की आख्या प्राप्त नहीं हुई है जिससे कि यह पता

7- इन्द्रानगर के निवासियों का प्रार्थना-पत्र प्रस्ताव सं०-5 दिनाँक 12-7-77 के सन्दर्भ सहित।

इन्द्रा नगर का अपूर्ण ले-आउट प्लान बैठक के समय प्रस्तुत हुआ। प्रार्थियों से कहा गया कि इसको 15 दिन के अन्दर पूरा करके विकास प्राधिकरण के कार्यालय में प्रस्तुत करें। नक्शा प्राप्त होने पर सहायक अभियन्ता स्थिति की जाँच कर अध्यक्ष/उपाध्यक्ष को अपनी संस्तुतियाँ आदेशार्थ भेजें। यह निर्णय लिया गया कि इस स्थल पर हो रहे अनाधिकृत निर्माण को कडाई से रोका जाये।

8- मौहल्ला लाल सिंह नगर, जय देवी नगर के निवासियों के प्रार्थना-पत्र।

मामला विकास प्राधिकरण के समक्ष पेश हुआ। विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय हुआ कि समस्त अभिलेखों सहित मामला आवास विकास परिषद को सन्दर्भित किया जाये। परिषद के लिये आख्या एवं संस्तुतियाँ आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत की जायें।

9- अनाधिकृत कालौनियों के ले-आउट प्लानों एवं भवन निर्माण मानचित्रों की स्वीकृति दिये जाने एवं इन कालोनियों के विकास की नीति निर्धारण हेतु।

प्राधिकरण के विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय हुआ कि सहायक अभियन्ता, विकास प्राधिकरण समस्त अनाधिकृत बस्तियों का विवरण तैयार करें तथा अपनी आख्या एवं संस्तुतियाँ अगली बैठक में प्रस्तुत करें। भवन निर्माण के मानचित्रों की स्वीकृति सम्बन्धित नीति इसके उपरान्त ही की जा सकेगी।

10- श्रीमति प्रेमलता पत्नी श्री प्रेम मनोहर के प्रार्थना-पत्र पर भू-प्रयोग में संशोधन ग्रीन बैल्ट से ग्रुप हाउसिंग।

आगामी बैठक के लिये स्थगित किया गया।

11- मेरठ विकास प्राधिकरण के लिये प्रस्तावित महायोजना के हापुड रोड पर इस कार्य के सम्बन्ध में प्रस्ताव सं०-7 दिनाँक 12-7-77 के सन्दर्भ में योजना की स्वीकृति हेतु ।

योजना सिद्धान्त रुप में स्वीकृत हुई । शासन हडको/बैंक से ऋण हेतु आवेदन किया जाये ।

12- मेरठ विकास प्राधिकरण के लिये दिल्ली रोड पर भूमि अर्जन ।

विचार विमर्श के उपरान्त तय हुआ कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की योजना संख्या-2 के अन्तर्गत आने वाली मेरठ हापुड तथा मेरठ दिल्ली मार्ग के मध्य स्थित समस्त भूमि को अध्याप्ति करने की कार्यवाही तुरन्त की जाये । सचिव ने यह बताया कि मेरठ गढ़ तथा मेरठ हापुड रोड के बीच में आवास एवं विकास परिषद द्वारा रिंग रोड का भाग बनाया जा चुका है । अब यह प्रस्ताव है कि इसी रोड के तारतम्य में मेरठ-हापुड तथा मेरठ-दिल्ली मार्ग को लिंक बनाने के लिये रिंग रोड बनायी जाये। प्रस्तावित रिंग रोड के साथ आवासीय, व्यापारिक, मनोरंजन केन्द्र, पार्क, सामुदायिक केन्द्र इत्यादि की योजना का प्रस्ताव सिद्धान्त रुप से स्वीकृत किया गया । यह भी निश्चय किया गया कि संघीय नियोजक से सम्पूर्ण योजना की विस्तृत रुप रेखा तैयार कराके आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत की जाये।

13- मेरठ विकास प्राधिकरण के लिये हापुड रोड परियोजना नं०-1 के प्रथम चरण में समाज के कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के लिये भवनों के निर्माण हेतु शासन से ऋण व अनुदान प्राप्त करना ।

विचार विमर्श के उपरान्त तय हुआ कि सामूहिक आवास योजनायें तैयार की जाये जिसका अनुपात इस प्रकार हो कि हडको से ऋण लेने में कम से कम कठिनाई हो । आवास विकास परिषद के प्रतिनिधि के सुझाव पर स्वीकृत किया कि मध्यम आय वर्ग के 32 आवास, निम्न आय वर्ग के 64 आवास तथा कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के लिये 408 आवासों की सामूहिक योजना तेयार करके हडको/बैंक से ऋण हेतु आवेदन किया जाये ।

14- आबू नाले पर बेगमपुल से कचहरी के पुल तक व्यवसायिक/आवासीय भवनों का निर्माण किया जाना।

आबू नाले को पाटने के सम्बन्ध में प्राधिकरण ने प्रस्ताव को स्वीकृत करते हुए यह सुझाव दिया कि योजना की प्रारम्भिक रुप रेखा संघीय नियोजक द्वारा तैयार करायी जाये । नाले के पाटने एवं भवन निर्माण का डिजाईन संघीय नियोजक से तैयार कराकर आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये । डिजाईन बनाते समय बर्षा ऋतु के जल स्तर आदि का पूर्ण ध्यान रखा जाना आवश्यक है ।

15-मलिन बस्ती निपातन योजना की स्वीकृति हेतु।

आगामी बैठक के लिये स्थगित किया गया ।

16-आर्कीटैक्टों को लाईसेन्स देने की नीति के सम्बन्ध में प्रस्ताव सं०-8 दिनाँक 12-7-77 के तारतम्य में।

आगामी बैठक के लिये स्थगित किया गया ।

17-दामोदर कोआपरेटिव हाउसिंग सोसायटी, मेरठ के बाहय विकास (नालियाँ) के निर्माण अनुमान सहित।

दामोदर कोआपरेटिव हाऊसिंग सोसायटी के प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित हुए । विचार विमर्श के उपरान्त तय किया गया कि अन्दरुनी विकास तथा नालियों का निर्माण सोसायटी स्वयं करावेगी । बहारी नाले के निर्माण के लिये फिलहाल इस सोसायटी से रुपये 75,000/- मेरठ विकास प्राधिकरण कोष में जमा कराये जाये तथा सम्बद्ध पूरे क्षेत्र के लिये नाले का डिजाईन तथा आगणन बनाकर अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के समक्ष 15 दिन के अन्दर प्रस्तुत किया जाये । नाला बनने पर सोसायटी द्वारा जमा की गयी धनराशि का समायोजन किया जाये । सिद्धान्त रुप में इस नाले के आरम्भ से अन्त तक के निर्माण पर व्यय होने वाली आसपास की बस्तियों पर अनुपात से विकास व्यय के रुप में वसूल किया जाये । [illegible] नाले के निर्माण हेतु

व्यय जमा करने पर इस कालौनी के प्राप्त नक्शों को नियमानुसार यथाशीघ्र पास किया जाये ।

18- प्राधिकरण के लिये एक लेखाकार तथा एक चौकीदार के स्थायी पर का सृजन तथा उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्राधिकरण की स्वीकृति की प्रत्याशा में दिनाँक 1-11-77 को स्वीकृत ।

मेरठ विकास प्राधिकरण में आवश्यक पदों पर नियुक्तियाँ, हिन्दी टाईपिस्ट के स्थायी पद का सृजन (उपाध्यक्ष द्वारा प्राधिकरण की स्वीकृति की प्रत्याशा में स्वीकृति ।)

प्राधिकरण ने निम्नांकित पदों का सृजन उनके समक्ष अंकित वेतनमानों में स्वीकृत किया ।

पदों का विवरण	संख्या	वेतनमान
लेखाकार	एक	300-8-340-10-440-12-500
टाईपिस्ट (हिन्द्री,अंग्रेजी)	एक	200-5-250-6-280-8-320
चौकीदार	एक	165-2-185-3-215
नोटिस सरवर	एक	उपरोक्त

उपाध्यक्ष को इन पदों पर नियुक्तियाँ करने को अधिकृत किया गया ।

19- प्राधिकरण के लिये निम्नांकित आवश्यक सामग्री क्रय किया जाना ।

१- रोड रोलर (डीजल) एक

२-

३-

आगामी बैठक के लिये स्थगित किया गया ।

20- महायोजना में मोदीपुरम के विभिन्न न्यासों एवं अन्य संस्थाओं हेतु 200 एकड भूमि आरक्षित करने के प्रार्थना-पत्र पर शासन की संस्तुतियाँ।

सर्व श्री मोदी रबर, मोदीपुरम के मैनेजिंग डाईरेक्टर की अनुपस्थिति में उनके प्रतिनिधि श्री एस० एस० एल० कक्कड उपस्थित हुए। विचार विमर्श के उपरान्त तय हुआ कि उक्त व्यापारिक संस्थान द्वारा भेजे गये सुझावों को संघीय नियोजक जाँच करके आगामी बैठक में विस्तृत आख्या एवं संस्तुतियाँ सहित प्रस्तुत करें।

21-सर्वोदय गृह निर्माण सहकारी समिति लि०, मेरठ की कालोनी के विकास हेतु अनुमान सहित।

विचार विमर्श के बाद तय हुआ कि इस बस्ती की स्थिति को मास्टर प्लान के प्राविधान के सन्दर्भ में निरीक्षण किया जाये तथा सहायक अभियन्ता अपनी आख्या एवं संस्तुतियाँ आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।

22-मेरठ विकास क्षेत्र में नव विकसित बस्तियों का विकास व्यय प्राधिकरण में जमा किये जाने एवं उन बस्तियों को विकसित किये जाने के सम्बन्ध में।

आगामी बैठक के लिये स्थगित किया गया।

23- महायोजना के अनुसार गढ़ रोड से देवी मन्दिर को जाने वाली सडक की चौडाई हेतु दिनाँक 12-7-77 के प्रस्ताव सं०-2 में बनायी गयी नीति के सन्दर्भ में नगरपालिका द्वारा स्वीकृत तलपट मानचित्र के अनुसार भवनों के निर्माण की स्वीकृति।

विचार विमर्श के बाद तय हुआ कि इस बस्ती की स्थिति को मास्टर प्लान के प्राविधान के सन्दर्भ में निरीक्षण किया जाये तथा सहायक अभियन्ता अपनी आख्या एवं संस्तुतियाँ आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।

24- अधिकारों का प्रतिनिधायन।

आगामी बैठक के लिये स्थगित किया गया।

25-अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिषय।

कोई नहीं।

ह०/-	ह०/-	ह०/-
सचिव	उपाध्यक्ष	अध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण	मेरठ विकास प्राधिकरण	मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ।	मेरठ।	मेरठ।